B-34
L-32
Ethics

उत्तरदायित्व एवं नैतिक शासन

- जवाबदेहिता का आशय
- जवाबदेहिता किसके प्रति हो
- जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के उपाय क्या है?
- जवाबदेहिता और दायित्व में अन्तर।

जवाबदेहिता का आशय है कारण बताने के लिए बाध्य करना वस्तुतः जवाबदेहिता की अवधारणा प्रशासकों की उस बाध्यता को इंगित करता है जिसके अन्तर्गत इन्हें अपने कार्य निस्पादन और उन्हें प्रदान की गई शक्तियों का संतोषजनक लेखा-जोखा देना होता है। जैसे- उन्होंने अपना निर्णय और कार्य किस आधार पर किया इसका समुचित स्पष्टीकरण देना।

जवाबदेहिता और दायित्व में अन्तर

जवाबदेहिता	दायित्व
-यह एक कानूनी संकल्पना है जिसमें बाध्यता का तत्व होता है।	-यह नैतिक बोध और कर्तव्य से संबंधित है।
-यह एक बाहरी एवं वस्तुनिष्ठ स्थिति है बाहर से काम करता है जैसे-नियम, कानून,	-इसमें नैतिक जिम्मेदारी का भाव है। -इसका संबंध अंतःकरण से है, मनोगत है।

आचरण संहिता आदि।
- उल्लंघन की स्थिति में दण्डात्मक या अनुशासनात्मक कार्यवाही।
- Code of Conduct में जवाबदेहिता का तत्व है (पालन करना पड़ेगा)
→ इसका संबंध अधिकार और कर्तव्य दोनों से है।

इसका आधार कानून न होकर नैतिक चेतना है।
- सामान्यतः दण्डात्मक विधान की स्थिति नहीं।
- अपेक्षा का भाव प्रबल होता है।
- पालन नहीं करने पर निंदा आदि की स्थिति।
- Code of Ethics में दायित्व का भाव प्रबल है। (पालन करना चाहिए।)

इसका संबंध प्रधानतः कर्तव्य से है।

- व्यापक रूप में जवाबदेहिता की अवधारणा में दायित्व भी समाहित/समाविष्ट हो जाता है।
- अधिकारों के संबंध में जवाबदेहिता का आशय है कि जब अधिकारी अपने अधिकारों का दुरूपयोग करे तो वह इसके लिए जवाबदेह माना जायेगा।
- कर्तव्यों के सन्दर्भ में इसका आशय है कि जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों की अवहेलना करे तो वह इसके लिए जवाबदेह माना जायेगा।
- चूँकि जवाबदेहिता एक कानूनी संकल्पना है अतः व्यक्ति को उसी सीमा तक जवाबदेह

माना जायेगा जहाँ तक कानून में इसका प्रावधान है।

जवाबदेहिता किसके प्रति हो:-

भारत में विधि का शासन है अर्थात यहाँ कानून सबसे ऊपर है। कानूनों का मुख्य स्त्रोत हमारा संविधान है जो सम्पूर्ण प्रशासन तंत्र को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। अत: लोक सेवकों की जवाबदेहिता संविधान के प्रति है।

2. संविधान के प्रावधान जनकल्याण के लिए है। लोकतंत्र शासन में प्रशासनिक अधिकारियों का मुख्य लक्ष्य लोक सेवा है। इनके वेतन और भत्ते पर होने वाले खर्च का वहन जनता भी करती है। ऐसी स्थिति में लोक सेवक जनता के प्रति उत्तरदायी है।

3. जन प्रतिनिधियों के माध्यम से गठित विधायिका देश की नीतियों एवं कानूनों के निर्माण में सर्वोच्च है। इनके प्रति भी लोक सेवकों की जवाबदेहिता है।

4- कानूनों की औचित्यपूर्णता का निर्माण और संविधान की व्याख्या करने वाली न्यायपालिका (संविधान का रक्षक) के प्रति भी इनकी जवाबदेहिता है।

- इसके अतिरिक्त संबंधित विभाग और उसके मंत्री तथा आंतरिक पदसोपान के प्रति भी जवाबदेह है।

एक विशिष्ट सन्दर्भ में हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य स्वयं के प्रति भी जवाबदेह है। मनुष्य की अंतरात्मा उसे सच्चे न्यायाधीश के भाँति उचित कर्मों के संपादन की प्रेरणा देती है, आदेश देती है। (कांट)

इसका उल्लंघन करने पर व्यक्ति में पश्चाताप और आत्मग्लानि की भावना उत्पन्न होती है।

जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के उपाय :-

1. जन जागरूकता एवं जन भागीदारी :-

सरकारी क्रियाकलापों, नीतियों के निर्माण, उनके क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में जनता को भागीदार बनाना। इसके लिए जन-जागरूकता आवश्यक है।

2. लोक सेवा गारंटी अधिनियम (Public Service guarantee Act - PSGA

यह अधिनियम नागरिकों को एक निश्चित समय सीमा में विभिन्न नागरिक सेवाएं प्रदान करने की गारंटी देता है और इसे उनका विधिक अधिकार मानता है।

लाभ :-

- पारदर्शिता और जवाबदेहिता में वृद्धि
- भ्रष्टाचार पर नियंत्रण
- नागरिकों का सशक्तिकरण आदि।

3. सामाजिक अंकेक्षण (Social Auditing) इससे आशय है सरकारी कार्यों का जनता द्वारा निरीक्षण एवं निगरानी

4- नागरिक घोषणा पत्र

5- सूचना का अधिकार

6- ई-गवर्नेंस

7- SMART शासन

- अब पेमेंट प्रमोशन पेंशन को performance से जोड़ने पर बल दिया जा रहा है।
- अच्छा प्रदर्शन नहीं करने की स्थिति में जबरन/अनिवार्य सेवा निवृत्ति भी की जा रही है।
- Accountability की अवधारणा सुशासन की स्थापना में सहायक है।

नैतिक शासन (Ethical Governance)

नैतिक शासन का आशय ऐसी शासन व्यवस्था से है जो नैतिक मूल्यों और नैतिक मानदण्डों पर आधारित और उससे संचालित हो। यह सुशासन में उपयोगी है।

नैतिक शासन के मुख्य तत्व :-

- नैतिक मूल्यों को व्यवहार में लाना।
- शासन में निष्पक्षता एवं निःस्वार्थवादिता को बढ़ावा देना।
- स्वेच्छा से अर्पित कर्मों का संपादन

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

- प्रशासनिक अधिकारियों में नैतिक चेतना का विकास।
- शासन में संवेदनशीलता, परानुभूति, सहिष्णुता, करुणा एवं न्यायप्रियता के साथ-साथ अनुक्रियाशीलता के तत्वों का होना।
- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच एजेंसियां
- शिकायत निवारण तंत्र का प्रभावी होना।
- उचित कर्मों को प्रोत्साहन अनुचित कर्मों का हतोत्साहन।

जवाबदेहिता और नैतिक शासन की अवधारणा परस्पर पूरक हैं दोनों एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं।

शासन व्यवस्था में नीतिपरक और नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण

- किन मूल्यों का सुदृढ़ीकरण
- क्यों
- कैसे
- लाभ

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR